न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 308/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/435)

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
1. अमृतपाल कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. खुशदिल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. नवदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरप्रीत सिंह पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसविन्द्र कौर पत्नी सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 16.09.2025

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण

––निर्णय–– **दिनांकः 31.10.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 49 जी जी ए, पटवार हल्का 52 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/2021 व चक 52 जी जी, पटवार हल्का 52 जी जी, भू. अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 38/3 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने हिस्सा की भूमि जरिए न्यायालय आदेश दिनांक 01.08.2025 को चक 52 जी जी के खाता संख्या 38 के मुरब्बा नं0 20 में प्राप्त कर ली गयी है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम चक 49 जी जी ए के खाता संख्या 26 के क्रमांक संख्या 1 व 2 से राजस्व जमाबंदी में हटाया जाना चाहिए था। उक्त रकबा चक 49 जी जी ए वादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकन होना चाहिए था जो कि विभागीय त्रुटि के कारण सहबन से रह गया है। उक्त रकबा वाके चक 49 जी जी ए के खाता संख्या 26 में अमृतपाल कौर पत्नी राजेन्द्र सिह के 0.866है0 एवं इसी प्रकार से खुशदिल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिह के 1.338है0, नवदीप सिह पुत्र राजेन्द्र सिह के 1.338है0 रकबा राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। कृषि भूमि के संबंध में समस्त कार्यवाही करने हेतु राजस्व न्यायालय को अधिकार हासिल है तथा कृषि भूमि के अभिलेख, राजस्व अभिलेख की देखरेख, कार्यो इत्यादि में परिवर्तन/अंकन, खातेदारो की समस्त सुविधाएं इत्यादि के संबंध में अधिकारिकता राजस्व न्यायालय को हासिल है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 49 जी जी ए, पटवार हल्का 52 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/2021 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 3.542 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण अमृतपाल कौर पत्नी राजेन्द्र सिह के 0.866 हैक्टेयर, खुशदिल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिह के 1.338 हैक्टेयर व नवदीप सिह पुत्र राजेन्द्र सिह के 1.338 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 गुरप्रीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 जसविन्द्र कौर के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आए व आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर किए तथा शपथ पत्र बाबत सहमति पेश किया। सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बंद किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण का वादपत्र, शपथपत्र सहमति का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र, उभयपक्ष की सहमति मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अमृतपाल कौर आदि बनाम गुरप्रीत सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91 आरटीए,
प्रकरण संख्या 308/2025

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष की सहमति मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 जी जी ए, पटवार हल्का 52 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/2021 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 3.542 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण अमृतपाल कौर पत्नी राजेन्द्र सिह को 0.866 हैक्टेयर भूमि का, खुशदिल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिह को 1.338 हैक्टेयर भूमि का व नवदीप सिह पुत्र राजेन्द्र सिह को 1.338 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. अमृतपाल कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. खुशदिल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. नवदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरप्रीत सिंह पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसविन्द्र कौर पत्नी सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 91आरटीए
मुकदमा नम्बर **308/2025**
निर्णय दिनांक :-31.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष की सहमति मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 जी जी ए, पटवार हल्का 52 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरला, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/2021 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 3.542 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण अमृतपाल कौर पत्नी राजेन्द्र सिह को 0.866 हैक्टेयर भूमि का, खुशदिल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिह को 1.338 हैक्टेयर भूमि का व नवदीप सिह पुत्र राजेन्द्र सिह को 1.338 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 31.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांक: रीडर/2025/811 दिनांक: 31.10.2025

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)